

आदेश

संस्था के पत्रांक संख्या 1627-30/सा0प्र0/जांच समिति/2025-26 दिनांक 21.11.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर के पत्रांक संख्या 66430-610/जे-प्रशा-109-विविध, दिनांक 19.11.2025 (संलग्न) एवं महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 818/महा0नि0/प्रा0शि0/2025 दिनांक 19.11.2025 (संलग्न) के अनुपालन में The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) ACT, 2013 के Chapter II, Section 4 के तहत संस्था स्तर पर निम्नलिखित Internal committee (Sexual Harassment Cell) का गठन किया जाता है।

- | | |
|--|---------|
| 1. श्रीमती उर्मिला कुमारी व्याख्याता रसायन | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती श्वेता सिंह व्याख्याता इलैक्ट्रॉनिक्स | सदस्य |
| 3. श्रीमती पायल सिंह व्याख्याता यांत्रिक | सदस्य |
| 4. कुमारी पूजा, पुस्तकालयाध्यक्ष | सदस्य |
| 5. श्री जोगेन्द्र पाल सिंह, कर्मशाला अनुदेशक | सदस्य |

उपरोक्त समिति सदस्य महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या 818/महा0नि0/प्रा0शि0/2025 दिनांक 19.11.2025 (संलग्न) पत्र के निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

प्रधानाचार्य

कार्यालय: प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक मवाना-खुर्द, मेरठ

पत्रांक: 1664-67 / सा0प्र0 / समिति / 2025-26 दिनांक: 24 / 11 / 2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र दौराला-मेरठ को सादर सूचनार्थ।
3. उपर्युक्त समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।
4. श्री अमित सिंह व्याख्याता कम्प्यूटर संस्थागत को इस निर्देश के साथ की उक्त समिति की सूचना संस्था वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक
मवाना खुर्द, मेरठ